



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर, 3030-272202

Website : www.suksn.edu.in - Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

पत्र सं०-1505/सि०वि०वि०/सम्बद्धता/2025

दिनांक 20/11/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,

समस्त सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिये नये महाविद्यालय/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालय/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाईन निस्तारण हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

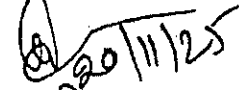
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं०-ई-8156/32 जी.एस./2025, दिनांक-19 नवम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों एवं पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आनलाईन अनापत्ति/सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय सारिणी एवं प्रस्तारों को निर्धारित की गयी है।

अतः समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि संलग्न समय सारिणी एवं प्रस्तारों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय



कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालय के कालेज लागिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या:ई- 8156 /32 जी.एस./2025

दिनांक: 19 नवम्बर, 2025

प्रेषक:

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,(अपर मुख्य सचिव स्तर)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उ.प्र.।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उ.प्र.।

महोदय/महोदया,

कृपया उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी.एड. पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों को ऑनलाइन समय-सारिणी विषयक निर्गत उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 1355/70-2099/28/2025 पार्ट-2, दिनांक 06.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश के प्रस्तर 2 (ii) में निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक तथा प्रस्तर 2 (iii) में निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06.11.2025 का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के प्रस्तर 2 (ii) में निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक तथा प्रस्तर 2 (iii) में निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड का शब्दशः व अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनाार्थ।

प्रभारी, सम्बद्ध अनु.

20/11/25

कुलाधिपति

20-11-25

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2025

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर-स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 06 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2025 तक।
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से 20 जनवरी, 2026 तक। (1) अनापति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक साह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3.	अनापति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक।
4.	ऑनलाइन अनापति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के	दिनांक 10 फरवरी, 2026 तक।

	विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	निरीक्षण मण्डल का गठन दिनांक 05 मार्च, 2026 तक। (1) अनापति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2026 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2026 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2026 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2026 तक।

2- सामान्य निर्देश :-

(i) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश:-

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्ता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन विन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

(ii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक:-

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य-सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाये, जिसपर पैनल सदस्यों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। उक्त निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त समझा जा सकता है।

- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध गन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वार्षिक रिपोर्ट रखा जाये।
- (iii) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड:-
 - प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्तकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
 - निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
 - प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु यथा-आवश्यकता निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जा सकता है।
- 4- उक्त समय-सारिणी एवं निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम०पी० अग्रवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदर्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, 30प्र०।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, 30प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 30प्र०।
4. निदेशक, सूचना विभाग, 30प्र० लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।